# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

**अपील सं0 :– 05/2019** **(धारा 75–76 एलआर एक्ट)**

उनवान

1. मै0 रॉयल अलवर स्टोन प्रोड़क्ट कम्पनी, गढ़ी तहसील रामगढ जिला अलवर जरिये भागीदार संजय पुत्र श्री बलवानसिंह, जाति जाट, निवासी गांधी नगर, गुड़गॉवा (हरियाणा)

.................. अपीलांट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर
2. तहसीलदार, रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0

............. रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश चन्द सतीजा, अभिभाषक अपीलांट
2. सरकार पैरोकार।

::: निर्णय :::

**दिनांक :– 17.03.2021**

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ (अलवर) के आदेश दिनांक 05.02.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर) द्वारा सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक 155–58 दिनांक 07.01.2011 को जारी किये गये थे। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ (अलवर) द्वारा इस सम्परिवर्तन आदेश को जरिये कार्यालय आदेश क्रमांक/राजस्व/19/376–81 दिनांक 05.02.2019 को प्रत्याहरित किया गया है। इस आदेश दिनांक 05.02.2019 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 683/0.18, 685/0.05, 686/0.12, 687/0.14, 775/0.24, 776/0.01, 779/0.09 व 780/0.16 है0 ग्राम गढ़ी तहसील रामगढ में से 9900 वर्गमीटर को औद्योगिक स्टोन क्रेशर हेतु सम्परिवर्तन करवाया था, जिसका सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक 155–58

दिनांक 07.01.2011 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ (अलवर) द्वारा पारित किया गया था, जो कि विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया था।

सम्परिवर्तन आदेश से पूर्व पटवारी हल्का एवं तहसीलदार ने मौके की जांच की, जिसमें तहसीलदार रामगढ ने स्टोन क्रेशर इकाईयों की आबादी क्षेत्र की दूरी को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 24.12.2010 को जारी किया गया था, जिसमें स्टोन क्रेशर की दूरी आबादी क्षेत्र से 2.0 से 2.5 किलोमीटर एवं तत्पश्चात एसटीपी अलवर की रिपोर्ट दिनांक 13.12.2010 में 2.0 किलोमीटर अंकित की गई है। सम्परिवर्तन आदेश के बाद अपीलाण्ट द्वारा मौके पर स्टोन क्रेशर स्थापित कर लिया गया है। अपीलाण्ट ने सभी औपचारिकतायें यथा वनविभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलवर से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त किये हुए हैं।

रेस्पोडेण्ट को बिना अधिकार होते हुए भी अपने ही सम्परिवर्तन आदेश को विड्रा किया गया है। जबकि पूर्व में जारी सम्परिवर्तन आदेश में भविष्य में विड्रा किये जाने का प्रावधान भी नहीं किया गया है। यदि सक्षम अधिकारी उस आदेश से व्यथित था तो उन्हें सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। रेस्पोडेण्ट को स्वयं का अपना ही आदेश विड्रा करने का अधिकार नहीं था, इसलिए आदेश जेरे काबिल खारिज है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिविल रिट पिटिशन 11277/2014 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकन किया गया है कि स्टोन क्रेशर निर्धारित दूरी 1.5 किलोमीटर की परिधि में नहीं आते हैं तथा दूरी के सम्बन्ध में नियम आदेशात्मक नहीं होकर निदेशात्मक हैं तथा दूरी को कम करके 750 मीटर कर दिया गया है। उक्त अपील को मान्य उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। ऐसे स्थिति में रेस्पो0 कानूनन विबंधित(एस्टाप्ड) हैं। इसलिए आलोच्य आदेश कतई मनमाना व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आबादी क्षेत्र की दूरी की गणना सम्परिवर्तन आदेश की देखी जाएगी, न कि वर्तमान आदेश की। इसलिए भी अपील खारिज योग्य है।

पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया गया जिसमें अंकन किया गया कि जिला कलक्टर अलवर को सम्परिवर्तन आदेशों की अवहेलना करने बाबत शिकायत की गई जिस पर अपीलांट्स नोटिस जारी किये जाने पर नोटिस का जवाब कार्यालय जिला कलक्टर को पेश किया गया। इस पर जिला कलक्टर अलवर द्वारा उनके पत्र क्रमांक प0 12–1( )(अवैध खनन)राज/16/4755 दिनांक 14.07.2016 द्वारा तहसील क्षेत्र रामगढ में स्थापित सभी स्टोन क्रेशरों की ग्राम की आबादी से एरियल दूरी एवं क्रेशर स्थल उपयुक्तता के सम्बन्ध में जांच करवाने बाबत उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ (अलवर) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ (अलवर) द्वारा रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/16/2340 दिनांक 09.08.2016 को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट में मै0 रॉयल अलवर स्टोन प्रोडक्ट कम्पनी की दूरी ग्राम खरखडी की आबादी से 850 मीटर पाई गई है। इस प्रकार यह दूरी निर्धारित नियमानुसार निर्धारित दूरी 1500 मीटर से कम होने के कारण, एवं जिला कलक्टर के पत्र क्रमांक प0 12–1(25)(खान)राज/2018/9095 दिनांक 16.11.2018 द्वारा इस प्रकरण में सम्परिवर्तन आदेशों की शर्तों का उल्लंघन पाया जाने से सही रूप से पूर्व में जारी किये गये सम्परिवर्तन आदेश सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक

155–58 दिनांक 07.01.2011 को प्रत्याहरित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा सम्परिवर्तन आदेश जारी करने से पूर्व तहसीलदार से दूरी की रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके सही होने पर ही सम्परिवर्तन आदेश जारी किये गये थे। जिला कलक्टर द्वारा शिकायत के आधार पर की गई जांच में अपीलांट को नहीं सुना गया एवं तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये ही सम्परिवर्तन आदेशों को प्रत्याहरित कर लिया गया, जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। आगे यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर अलवर के आदेशानुसार दूरी के सन्दर्भ में जो जांच कमेटी बनाई गई थी एवं उसी को आधार मानकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सम्परिवर्तन आदेशों को प्रत्याहरित किया गया है उस कमेटी में अपीलांट को न तो सुनवाई का मौका दिया गया न ही कमेटी में शामिल किया गया। कमेटी द्वारा रिपोर्ट मनमर्जी से बालाबाला ही एकतरफा बनाई गई है। एवं इस आधार पर जो सम्परिवर्तन आदेश जारी किया गया है, वह निरस्त योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी के आलोच्य आदेश दिनांक 05.02.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

जवाब बहस में पैरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया है कि कमेटी द्वारा सही रूप से दूरी की गणना की गई है और ग्राम की आबादी से निर्धारित दूरी 1500 मीटर से कम पाये जाने पर सही रूप से पूर्व में जारी सम्परिवर्तन आदेश को प्रत्याहरित किया गया है। अतः अपील अपीलांट सव्यय खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्षकारों की बहस पर मनन किया गया।

इस सन्दर्भ में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 इस प्रकार है–

**(A) Section 86 - Review by the Board and other Courts –**

(1)

(2) Every other revenue court or officers may either on its or his own motion, or on application of any party interested, review any order passed by itself or himself or by any of its or his predecessors in office and pass such orders in reference thereto as it or he thinks fit :

Provide it that –

(i) no order shallbe varied or reversed unless notice has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such order.

इस प्रकार इस धारा से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किये गये कोई भी आदेश को स्वयं उपखण्ड अधिकारी द्वारा रिव्यू कर सकता है और उसमें कोई परिवर्तन या विपरीत आदेश भी पारित कर सकता है, परन्तु सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का मौका दिये बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

**(B) Hearing –** The basic principle of natural justice is audi alteram partem ie. "Hear the other side, both sides should be heard before a decision is given". (AIR 1967 Raj 179)

**(C) What is a valid hearing – "One who hears must decide"** ( Mrs Leela Jain vs State of Rajasthan ILR 1965 Raj 619)

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का नोटिस जाये किये ही एवं बिना अपीलांट को सुने ही पूर्व में जारी सम्परिवर्तन आदेश सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक 155–58 दिनांक 07.01.2011 को उनके आदेश क्रमांक/राजस्व/19/376–81 दिनांक 05.02.2019 को प्रत्याहरित किया गया है, जो कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 86(2)(i) के विपरित है।

पत्रावली के अवलोकन से भी यह जाहिर है कि कमेटी द्वारा सर्वे रिपोर्ट बनाते समय अपीलांट को किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसी प्रकार माननीय एनजीटी में ओरिजिनल प्रार्थना पत्र संख्या 44/2019 बउनवान दौलतसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य में भी रामगढ़ क्षेत्र में संचालित क्रेशरों के सम्बन्ध में विपरीत निर्णय पारित नहीं किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांटस को सुनवाई का मौका देते हुए, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ में दिनांक 08.04.2021 को उपस्थित होवे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/3/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर